तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.18/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
17.01.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) मांगीलाल प्रजापत पुत्र नोपाराम जी, जाति– प्रजापत, निवासी– मेन गली, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म उथमेश्वर किराणा स्टोर, मेन गली, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (दो) हिम्मतमल पुत्र हंसाराम, निवासी–शिव कॉलोनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला–पाली तथा प्रतिवादी संख्या–3 (तीन) सोनीबाई पत्नि सोनाराम, निवासी– नई गोकुलवाडी, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मंगल गृह उद्योग, जी–123, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.6.2021 को फर्म उथमेश्वर किराणा स्टोर, मेन गली, उथमण, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मांगीलाल प्रजापत पुत्र नोपाराम जी, जाति– प्रजापत, निवासी– मेन गली, उथमण से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1430 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./379/Act/2021/447 दिनांक 01.7.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित हुए एवं प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.6.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म उथमेश्वर किराणा स्टोर, मेन गली, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मांगीलाल प्रजापत पुत्र नोपाराम जी, जाति– प्रजापत, निवासी– मेन गली, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सि[illegible] मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रि[illegible] ब्रा[illegible] बेचता है।	

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:00 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.18/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	अधिकारी द्वारा फर्म उथमेश्वर किराणा स्टोर, मेन गली, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता मांगीलाल प्रजापत से खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ जौ (दयिा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1430 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./379/Act/2021/447 दिनांक 01.7.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मांगीलाल प्रजापत की फर्म उथमेश्वर किराणा स्टोर, मेन गली, उथमण द्वारा खाद्य पदार्थ जौ दलिया के एक–एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचेज को फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला– सिरोही से जरिये बिल क्रय किया है, जो प्रतिवादी हिम्मतमल की फर्म है तथा प्रतिवाद्दी हिम्मतमल की फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ जौ दलिया के एक–एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचेज को फर्म मंगल गृह उद्योग, जी–123, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज से जरिये बिल क्रय किया गया है, जो खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) की निर्माता एवं पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मांगीलाल प्रजापत पुत्र नोपाराम जी, जाति– प्रजापत, निवासी– मेन गली, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म उथमेश्वर किराणा स्टोर, मेन गली, उथमण, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,500/– (अक्षरे रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) की एवं प्रतिवादी हिम्मतमल पुत्र हंसाराम, निवासी–शिव कॉलोनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला–पाली पर राशि [illegible] 1,500/– [illegible] हजार पांच सौ मात्र) की तथा मिथ्याछाप (Misbra[illegible]) [illegible] पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के निर्मा[illegible] पत्नि सोनाराम, निवासी– नई [illegible] सिरोही, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला अभिहित [illegible]
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.18/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही तथा श्री विष्णुदत्त जोशी, एल.एम.ओ., जिला उद्योग केन्द्र, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी मांगीलाल प्रजापत को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर फर्श पर प्लास्टिक के एक बैग में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के 18 सील्ड पैक पाउच (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) के 4 सील्ड पैक पाउच (प्रत्येक एक किलोग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 120/– (अक्षरे रुपये एक सौ बीस मात्र) प्रतिवादी मांगीलाल प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1430, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ जौ दलिया (त्रिशूल ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरदीशुदा जौ दलिया के प्रत्येक नमना पाउच पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना पाउच को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1430 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा सिद्धार्थ सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 19.6.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:00 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.18/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	खाद्य कारोबारकर्ता एवं माालिक, फर्म मंगल गृह उद्योग, जी–123, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण मांगीलाल प्रजापत, हिम्मतमल एवं सोनी देवी को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 15.2.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:00 IST
Reason: SelfAttested